न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या –23/2021 (2121/23)

संतोष धर्मपत्नि रामकुमार (मृत)

1/1. रामकुमार पुत्र हजारीराम
1/2. समस्ता पुत्री रामकुमार
1/3. चेतना पुत्री रामकुमार
1/4. जसवीर पुत्र रामकुमार

} अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. राजपाल पुत्र दानाराम जात जाट निवासी वार्ड नं0 4, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——वादी/रेस्पोडेंट

2. दानाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 4, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादी/रेस्पोडेंट

3. ऊर्मिला धर्मपत्नि अमरसिंह पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. कौशल्या धर्मपत्नि हरबंस पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. चन्द्रमुखी धर्मपत्नि रामकिशन पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. पुष्पा पत्नि आदराम पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. सरोज धर्मपत्नि दुर्गादत जाति जाट निवासी दईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुशीला धर्मपत्नि जगतपाल पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी कुचेन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. संजू धर्मपत्नि मामराज जाति जाट निवासी 31 एसएसडब्ल्यू फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी
अनवान ''राजपाल बनाम दानाराम'' प्र. सं. 1019/2013
उपस्थितिः–
श्री विनोद कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलांट
श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 30.6.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''राजपाल बनाम दानाराम'' वाद संख्या 1019/2013 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी के नाम से चक नं0 8 जीजीआर के जमाबंदी सम्वत 2066 ता 69 के खाता संख्या 175/184 में पत्थर नम्बर 200/286 मुरब्बा नं0 56 किला नं0 11/.127, 12/.126, पत्थर नम्बर 199/286 मुरब्बा नं0 15 किला नं0 1/.126 कुल .379 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 89/68 में अंकित कुल 5.389 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी वादी का पिता है तथा प्रतिवादी के वादी के अलावा 8 लड़कियां जो कि वादी की बहिने हैं। प्रतिवादी द्वारा अपनी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की हुई है जहां वे राजी खुशी रह रही हैं तथा उन्होनें अपने हक व हिस्सा की आराजी का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। वाद पत्र की दफा–2 में दर्ज आराजी प्रतिवादी द्वारा वादी को घरू बंटवारा में दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व आबयाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वाद पत्र की दफा–2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादी वाद पत्र की दफा–2 में दर्ज आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर प्रतिवादी का नाम खाता हाजा में से कलमजन करवाना चाहता है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2013 पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2013 के विरूद्व अपीलांट ने इस न्यायालय में बतौर तृतीय पक्ष अपील पेश की व उक्त अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट का हक व हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपने वाद पत्र में उपरोक्त भूमि उसकी बहिनों द्वारा हक त्याग करने के कथन किये हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

जबकि अपीलांट ने कोई हक त्याग नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार नही बनाया। ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि अपीलांट ने अपना हक व हिस्सा रेस्पोडेंट को त्याग किया हो। वस्तुत: अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि में अपना हक व हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में त्याग नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के सही होने के कथन किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री में यह विवेचना की है कि रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 ने अपना हक व हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में मौखिक रूप से त्याग कर दिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 ने अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय व डिक्री को सही होना स्वीकार किया है। अपीलांट संतोष फौत हो चुंकी है जिसके जायज व कानूनी वारिसान अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 है। कानूनन किसी व्यक्ति विशिष्ट को हक त्याग नहीं किया जा सकता तथा किसी व्यक्ति विशिष्ट के पक्ष में त्याग किया गया हक हिस्सा शेष भाई बहिनों के पक्ष में बहिस्सा बराबर माना जायेगा। रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 द्वारा हक त्याग के सम्बंध में दी गई स्वीकृति से उपरोक्त भूमि में अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या–1 के साथ बहिस्सा बराबर की खातेदार हो चुकी है। धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि में अपीलांट का हक व हिस्सा है जिसे रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने हक व हिस्सा होना स्वीकार है लेकिन उन्होनें अपीलांट का हिस्सा मौखिक रूप से त्याग करने के कथन किये हैं तथा अपीलांट के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को अपने नाम से डिक्री करवा ली। अपीलांट निर्णय डिक्री से विपरीत रूप से प्रभावित है तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त अपील हाजा प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व अपीलांट जब अपने पीहर गई हुई थी तब रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपीलांट को अपने पिता से मिलने नहीं दिया व दुर्व्यवहार करते हुए घर से निकाल दिया तथा रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपीलांट को कहा कि उसका जमीन व अन्य सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा उसने जमीन भी अपने नाम करवा ली है तब अपीलांट ने उपरोक्त जमीन की जमाबंदी की नकल निकलवाई जिससे अपीलांट को ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपने नाम से दर्ज करवा ली है। अपीलांट ने अपने अधिवक्ता की मार्फत उक्त पत्रावली की नकल प्राप्त की है तथा उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष पेश की है। अपील अपीलांट अन्दर मियाद ग्रहण की जावे तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 8 जीजीआर जमाबंदी सम्वत 2066–069 के खाता संख्या 175/184 के पत्थर नम्बर 200/286 (56) किला नं0 11/.127, 12/.126, पत्थर नम्बर 199/286 (57) किला नं0 15 किला नं0 1/.126 कुल .379 हैक्टेयर तथा इसी चक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

के खाता संख्या 89/68 में अंकित कुल 5.389 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला में अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या–1 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद फरमाया जावे। है। इस सम्बंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 (1) पेज 509 प्रस्तुत किया।

4. रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 ने अपना अपना हक व हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में मौखिक रूप से त्याग किया हुआ है। इस तथ्य को रेस्पोडेंट संख्या–2/प्रतिवादी संख्या–1 ने भी स्वीकार किया है। रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 द्वारा किये गये हक त्याग में अपीलांट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि में अपना हक त्याग पूर्व में किया हुआ है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2013 की है जबकि अपीलांट ने उक्त अपील अर्सा 8 वर्ष पश्चात् की है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का शुरू से ज्ञान रहा है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा दुर्व्यवहार सम्बंधी कथन मिथ्या किये हैं। अपील में रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 ने उपरोक्त भूमि घरू बंटवारा में रेस्पोडेंट संख्या–1 को देने के कथन किये हैं। अपील अपीलांट सारहीन है तथा खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं थी। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को मध्यनजर रखते हुए अपील का अंतिम निस्तारण किया जाना श्रेयकर होगा। अतः दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं थी तथा वाद पत्र के अभिवचनों व दस्तावेज से साबित होता है कि प्रश्नगत भूमि में अपीलांट का हक व हिस्सा है। उक्त परिस्थितियों में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपने वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि में वादी की बहिनों के हक व हिस्सा का त्याग रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में होने के कथन किये हैं तथा रेस्पोडेंट संख्या–2/प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा घरू बंटवारा में उपरोक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 को देने के कथन किये हैं, लेकिन हक त्याग के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये तथा ना ही कोई साक्ष्य से साबित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखने के कथन किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिकी में बहिनों द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में हक त्याग करने का विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की है तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 ने इस न्यायालय में आकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी को सही होना स्वीकार किया है। उक्त परिस्थितियों में रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 द्वारा हक त्याग होने के सम्बंध में अपनी स्वीकृति दी है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 (1) पेज 509 में यह प्रतिपादित किया गया है कि सह खातेदार अपना हिस्सा एक सहखातेदार के पक्ष में नहीं छोड़ सकता तथा उसका हिस्सा प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा होना माना है। अपीलांट ने उपरोक्त भूमि में हक त्याग होने के कथनों को विशिष्ट रूप से अस्वीकार किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 9 द्वारा किया गया हक त्याग रेस्पोडेंट संख्या–1 व अपीलांट के पक्ष में बहिस्सा बराबर माना जायेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2013 को अपास्त किया जाता है एवं प्रश्नगत भूमि चक 8 जीजीआर जमाबंदी सम्वत 2066–069 के खाता संख्या 175/184 के पत्थर नम्बर 200/286 (56) किला नं0 11/.127, 12/.126, पत्थर नम्बर 199/286 (57) किला नं0 15 किला नं0 1/.126 कुल .379 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 89/68 जमाबंदी संवत 2066–69 के प. नं. 202/290 (80) किला नं. 17 ता 20, 21/.215, 22 ता 24 प. नं. 201/290 (81) किला नं. 9, 10, 11/.215, 12 ता 16, 17/.240, 18/.177, 19/.063, 24/.013, 25/.089 प. नं. 200/290 (82) किला नं. 6, 15/.139, प. नं. 202/291 (84) किला नं. 2/.051, 3/.152, 4/.240 तादादी कुल 5.389 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला में अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 क्रमशः रामकुमार पुत्र हजारीराम, समेस्ता, चेतना, जसवीर पिसरान रामकुमार को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 राजपाल पुत्र दानाराम को 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेश दिये जाते हैं कि वह राजस्व अभिलेख में भूमि का अमलदरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/23

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या –23/2021 (2121/23)

संतोष धर्मपत्नि रामकुमार (मृत)

1/1. रामकुमार पुत्र हजारीराम
1/2. समस्ता पुत्री रामकुमार
1/3. चेतना पुत्री रामकुमार
1/4. जसवीर पुत्र रामकुमार

} अकवाम जाट निवासीयान किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. राजपाल पुत्र दानाराम जात जाट निवासी वार्ड नं0 4, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——वादी/रेस्पोडेंट

2. दानाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 4, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादी/रेस्पोडेंट

3. ऊर्मिला धर्मपत्नि अमरसिंह पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. कौशल्या धर्मपत्नि हरबंस पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. चन्द्रमुखी धर्मपत्नि रामकिशन पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. पुष्पा पत्नि आदराम पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. सरोज धर्मपत्नि दुर्गादत जाति जाट निवासी दईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. सुशीला धर्मपत्नि जगतपाल पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी कुँचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. संजू धर्मपत्नि मामराज जाति जाट निवासी 31 एसएसडब्ल्यू फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2013
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी
अनवान ''राजपाल बनाम दानाराम'' प्र. सं. 1019/2013

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विनोद कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलांट, श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट की बहस समायत की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2013 को अपास्त किया जाता है एवं प्रश्नगत भूमि चक 8 जीजीआर जमाबंदी सम्वत 2066–069 के खाता संख्या 175/184 के पत्थर नम्बर 200/286 (56) किला नं0 11/.127, 12/.126, पत्थर नम्बर 199/286 (57) किला नं0 15 किला नं0 1/.126 कुल .379 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 89/68 जमाबंदी संवत 2066–69 के प. नं. 202/290 (80) किला नं. 17 ता 20, 21/.215, 22 ता 24 प. नं. 201/290 (81) किला नं. 9, 10, 11/.215, 12 ता 16, 17/.240, 18/.177, 19/.063, 24/.013, 25/.089 प. नं. 200/290 (82), किला नं. 6, 15/.139, प. नं. 202/291 (84) किला नं. 2/.051, 3/.152, 4/.240 तादादी कुल 5.389 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला में अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 क्रमशः रामकुमार पुत्र हजारीराम, समेस्ता, चेतना, जसवीर पिसरान रामकुमार को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 राजपाल पुत्र दानाराम को 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेश दिये जाते हैं कि वह राजस्व अभिलेख में भूमि का अमलदरामद करे।

डिक्री आज दिनांक 30.6.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

30/6/23
(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner